COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-II, JAMUI
Session Trial case no.-470/2013
Sikandra P.S.-117/2013
Registration No.- 2301/2015

State through Manoj Kumar Bhagat **Informant**
vs.
Lalan Paswan & others **Accused**

Present-Sudhir Sinha, D.A.S.J. II

11.06.2026 वाद के तीन अभियुक्त में 1. ललन पासवान 2. रंजीत विश्वकर्मा एवं 3. नरेश पासवान की हाजरी है। वाद पुकारा गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन की ओर से एक भी साक्षी का परिक्षण नहीं कराया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपो की सम्पुष्टि में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त गण को द्र.प्र.स. की धारा 232 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाय।

दूसरी तरफ विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से साक्ष्य न कराने का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि सूचक मनोज कुमार भगत के द्वारा दिनांक 19.05.2013 को रात्रि 01.00 बजे सिकंदरा–नवादा मुख्य मार्ग महना मोड़ पर अन्य राहगीरो के साथ पुलिस के समक्ष दिये फर्दब्यान के आधार पर सिकंदरा थाना कांड संख्या 117/2013 दिनांक 19.05.2013 के तहत पंजीकृत किया गया। फर्दब्यान के आलोक में अभियोजन का संक्षेप में वाद यह है कि दिनांक 18.05.2013 को रात्रि समय 11.00 बजे सूचक जहानाबाद से अपना मैजिक मालढोबा Reg. No. BR46B-6135 से लेकर सिकंदरा थाना के महना मोड़ के पास सड़क ब्रेकर के पास गाड़ी धीरे किया तो करीब 7–8 अज्ञात व्यक्ति पिस्तौल लाठी–डंडे से लैस गाड़ी को घेर लिया तथा सूचक के सिर पर पिस्तौल सटा कर उसके पॉकेट से 1600 रूपये ले लिया। सभी अपराधी गण कपड़ा से मुँह ढंके हुए था। अपराधी गण अन्य गाड़ियों को रोक कर लुटपाट करने लगे। कुछ राहगीरो द्वारा विरोध करने पर अपराधियों के द्वारा मार–पीट भी किया गया। अपराधी गण करीब रात्रि 12 बजे तक लुटपाट करते रहे तथा उनके भाग जाने के पश्चात् दूरभाष पर थाना को सूचना दी गई।

उपरोक्त कांड का अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता के द्वारा संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र संख्या 176/2013 दाखिल किया गया जिसपर अपराध का संज्ञान लेते हुए, वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण सत्र न्यायालय भेजा गया तथा अभियुक्त 1. ललन पासवान 2. रंजीत विश्वकर्मा एवं 3. नरेश पासवान का वाद हस्तांतरण के उपरांत दिनांक 14.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। दिनांक 04.01.2014 को उक्त अभियुक्त गण के विरूद्ध

धारा 395, 397 I.P.C. के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया। आरोप को अभियुक्त गण को हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त गण के द्वारा आरोप से इंकार किया गया एवं वाद विचारण का दावा किया गया। तत्पश्चात् अभिलेख साक्ष्य पर नियत किया गया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से अभि0 के विरूद्ध लगाए गए आरोपो को साबित करने के लिए इस कांड के एक भी साक्षी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्षियों के उप0 हेतु न्यायालय के द्वारा सारी प्रकियाए को अपनाया गया परंतु अभियोजन पक्ष इस वाद के साक्षियों को प्रस्तुत करने में विफल रहे। अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर लगभग बारह साल पॉच महीना से ज्यादा देने के उपरांत दिनांक 07.05.2026 को अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया। इस कांड के अनुसंधानकर्ता का परीक्षण नही कराए जाने के कारण अभियोजन वाद बुरी तरह प्रभावित हुआ है तथा इस कांड के अभियुक्त के विरुद्ध इस कांड में संलिप्तता के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तों के द्वारा उपरोक्त अपराध कारित किया गया था।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह मंतव्य है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त गण के विरूद्ध लगाए आरोपो को साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि कथित घटना उक्त अभियुक्त गण के द्वारा कारित की गई थी। अपितु अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त गण को द्र.प्र. स. की धारा 232 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव उक्त अभियुक्त गण को धारा 395, 397 I.P.C. से दोषमुक्त किया जाता है तथा बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

DASJ II